The question was put and the motion was adopted.

SHRIANANDRAO VTTHOB A ADSUL : Madam, I introduce the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjomed for one hour for lunch. After lunch, we will take up the Legislative Business. I hope there will be enough Members in the House.

The House then adjourned for lunch at
thirteen minutes past one of the clock.

[The House reassembled at fifteen minutes past two of the clock,
THE DEPUTY CHAIRMAN in theChair]

The infant milk substitutes, feeding bottles and infant foods (regulation of Production, Supply and Distribution) Amendment Bill, 2003.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now, we shall take up the Legislative Business— the infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Amendment Bill, 2003. Dr. Murli Manohar Joshi will move the motion.

This Bill has been allotted 30 minutes. How can it be?... *(Interruptions)...*

SHRI S. V1DUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): At least one hour ... *(Interruptions) ...*

THE DEPUTY CHAIRMAN : You can speak. ...*(Interruptions)...* But we have to decide how we will do it. ...*(Interruptions)...* We have to decide the time... *(Interruptions)..*आप मूव करिए मोशन।

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (**डा. मुरली मनोहर जोशी**) : महोदया ,मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

"शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पाद , प्रदाय और वितरण विनियमन अधिनियम,1992 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप , में विचार किया जाए ।

महोदया, हमारे देश में यह बात बहुत दिनों से ज्ञात है लोगों को,कि माताओं के स्तनपान की अवधि लम्बी होनी चाहिए और हमेशा हमारे देश में बच्चों को स्तनपान के द्वारा पोषण किए जाने

की प्रथा बहुत प्राचीन है । हर गांव का व्यक्ति भी इस बात को जानता है कि बच्चों के लिए सबसे अधिक पोषण और उनके अंदर प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने वाली कोई चीज अगर है तो वह मां का दूध है । बहुत मुहावरे हैं इसके बारे में , सब जानते है उनको दोहराने की जरूरत नहीं । मां के दूध की महत्ता हमारे देश को बहुत पहले से ज्ञात थी लेकिन पश्चिमी जगत में नई चिकित्सा प्रणाली और नई औषधि विज्ञान ने **और कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने,जिनके इस मामले में कुछ निहित स्वार्थ थे कि उनका** आहार बिकेगा , कुछ इस प्रकार की बातें कीं कि जैसे माता का दूध कुछ कम समय तक पिलाने से भी काम चल सकता है और बहुत दिनों तक यह बात कही गई कि केवल चार महीने तक माता का दूध दिया जाना चाहिए, इससे अधिक अवधि की जरूरत नहीं है और उसके बाद दूसरे पोषण आहार बच्चों को दिए जा सकते है । लेकिन धीर-धीरे पश्चिमी चिकित्सा प्रणाली के लोगों को भी यह बात पता लगी कि माता के दूध में बहुत शक्ति है,बहुत प्रकार के तत्व हैं,बहुत पोषण क्षमता है । प्रतिरोध क्षमता , इम्युनिटी को बढाने की उसमें बहुत सी चीजें हैं । इसलिए यह बात की गई है कि अब चार महीने के स्थान पर छः महीने तक माता का दूध अनिवार्य रूप से दिया जाए और केवल माता का दूध दिया जाए और उसके बाद दो वर्ष की अवधि तक उसे दिया जाना चाहिए । इस बीच में यह पाया गया था कि बहुत से संस्थान अपने आहार बनाते थे और उनका बहुत अधिक मात्रा में विज्ञापनों के द्वारा प्रचार करते थे और उनमें यह एक बात बताई जाती थी कि बजाए स्तन से दूध पिलाने के बोतल सेदूध पिलाइए और पोषण आहार दीजिए । इसको ध्यान में रखते हुए कि अब यह छः महीने और दो वर्ष की अवधि की बात सब प्रकार की वैज्ञानिक खोजों से सिद्ध हो गई है ,एक अधिनियम इस पंसद ने पास किया था जिसके अनुसार चार महीने की अवधि जो पुराना चल रहा था उसको संशोधन करके छः महीने की अवधि और दो वर्ष तक उसकी उपयुक्तता, ऐसा एक संशोधित विधेयक 2002 में संसद के समक्ष रखा गया था । उसे स्थायी समिति के पास भेज दिया गया । **स्थयी** समिति ने जो संशोधन हमने किए थे ,उन सबको तो स्वीकार किया लेकिन उन्होंने एक छोटी सी बात यह कही कि इसमें एक संशोधन "इन्फेंक्ट फूड"शब्द का प्रयोग और होना चाहिए और उन्होने इतना छोटा सा संशोधन करके उसे वापिस कर दिया । इसलिए लोक सभा में हमने उस संशोधन को स्वीकार करते हुए इस अधिनियम का संशोधित रूप स्वीकार किया जिसे माननीय लोक सभा ने अभी पास किया और अब यह आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैं ।

महोदया , यह एक बहुत ही टैक्निकल, तकनीकी संशोधन स्थायी समिति ने किया था । बिल अपने आप में बहुत स्पष्ट है और पहले संसद इस पर विचार कर चुकी है । इसलिए मैं निवेदन करूंगां कि इसको सर्वसम्मति से, यथाशीर्घ् और यदि उचित समझा जाए तो बिना किसी विवाद के पारित किया जाए तो यह उचित होगा ।

The question was proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: As the hon. Minister has explained that the recommendation of the Standing Committee is being accepted and it is technical. However, the importance of the Bill is there because it relates to children and feeding infants regulatroy. I have a number of names. I would suggest that if Members want to speak, they can give only suggestions, instead of making long preliminary speeches. All of us know its importance. Please, if you have any suggestions, kindly give. But, the speeches must be short. The time allotted for this Bill is half- an hour, but I can always extend it.

SHRIMATI PREMA CARIAPPA(Kamataka) : Madam, the recent developments and findings of international agencies as well as researchers have revealed that infant thrives best on exclusive breastfeeding for the first six months of life and continued breastfeeding, together with complementary foods, for the first two years. The child should be adequately nourished to attain and maintain his health and development. Breast milk is an ideal food for the babies because it contains all the nutrients that a baby needs for first six months of life. Mother's milk is quickly and easily digested and it contains fat, lactose protein, vitamins, minerals and water that are necessay for the growth of baby. So, the milk substitute can be used after six months of life, along with mother's milk for about one to two years. Malnutrition is a major contributory factor of high incidence of infant mortality and physical and mental handicaps. The anti-infective properties of mother's milk protect infants against diseases. Breastfeeding is a natural process. Many NGOs are working for the promotion of this. Mother's milk is a complete food for newborn babies up to six months. If the mother's milk is properly fed, the babies will be healthy and it develops immunity in them to fight diseases which sometimes cause infants' death. Now a days, we find that the bottled water is contaminated and unfit for consumption. Then, Madam, please think about the life of so many infants using milk prepared by companies by using this type of water. Most of the time, feeding bottle, which is used to feed milk, will be used to feed juice, soup etc.If the bottle is not washed properly one can imagine the problems that cause to baby's health.

Breastfeeding is the best form of infant nutrition. Unfortunately, there has been a steady decline due to various reasons. The practice of breastfeeding, in addition to satisfying the nutritional needs of the baby, also creates a strong mother-child bonding. Not only the pressures of urban life creat stress on woman but also the distance between workplace and residence makes the mother unable to reach her baby during the day. The work forces mother to use milk substitutes.

The multinational companies manufacturing infant milk substitutes and infant foods are not only using media and other advertising methods to promote their products but these industries are even using health professionals like doctors and nurses to promote their products and advise mothers on bottle-feeding.. The doctors, nurses and hospitals have more influence on pregnant women, nursing mother and their families than other members. In the absence of a strong interventions designed to protect, promote and support breastfeeding, the millions of infants are a greater risk of malnutrition, infections and deaths. Thus, there is a need to raise public awareness about the importance of breastfeeding as a right to both mother and child.

It is significant to note that the World Health Organisation (WHO) and United Nations International Children's Fund (UNICEF) have played a catalytic role in the campaign through advocacy, information and social mobilization. The Government, health professionals and voluntary organizations should join in influencing individual families and communities in favour of breastfeeding. I am supporting this Bill saying that the milk substitute and milk food can be used only after the baby is six months old. Thank You.

उपसभापति : सविता शारदा जी, आप बोलिए।

श्री मती जमना देवी बारूपाल (राजस्थान) : मैडम, मैं इनकी बात का समर्थन करती हूं । मां का दूध बच्चे के लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही शक्तिशाली ......(व्यवधान)

उपसभाति : बीच में से मत बोला कीजिए आप । यहां बिल पर डिस्कशन हो रहा है,यह ज़ीरो आवॅर नहीं है । आपको अगर बोलना है तो नाम दे दीजिए, मैं बुलवा लूंगी । बीच में बोलने से जो माननीय सदस्या खड़ी है , जिनका नाम पुकारा गया है पार्टी की तरफ से, उनको शायद अच्छा नहीं लगता होगा।

श्री मति सविता शारदा (गुजरात): धन्यवाद उपसभापति महोदया, आपने सजेशन मांगे हैं लेकिन मैं उसके बारे में थोडा सा बात कर फिर उसके बाद सजेशन दूंगी । शिशु दुग्ध अनुकल्प पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन,प्रदाय और वितरण विनियमन) संशोधन विधेयक ,2003 का मैं समर्थन करने के लिए उपस्थित हूं । उपसभापति महोदय,भारतीय संस्कृति एक प्राचीन संस्कृति है । अतएव परिवार ही समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है और उसमें भी संतान उस परिवार की एक महत्वपूर्ण इकाई है । मां की ममता, उसका ममत्व जन्म से ही नहीं बल्कि जब नारी गर्भ धारण करती है तभी से इस प्रक्रिया का आरम्भ हो जाता है । जब हैल्थ आर्गनाइजेशन नही थी तो क्या बच्चे अच्छी तरह से नहीं पलते थे ? बल्कि जाने-अनजाने मां अपनी संतान को स्तनपान

कराकर जो संतोष पाती है वही दूध पूर्ण रूप से बच्चों के लिए पौष्टिक आहार है। लेकिन आज की बड़ी –बडी कम्पलियों द्वारा ऐसे विज्ञापन दिए जाते है जिसमें यह बताया जाता है कि मां के दूध का सब्स्टीयुट है जिससे भ्रमित माताओं ने बच्चों को दूध पिलाना बंद कर दिया एवं डिब्बा बन्द दूध पिलाना सुरू कर दिया। भ्रांति यह फैलाई गई कि स्तनपान से शारिरिक सुंदरता में कमी आएगी। हमारी विडम्बना यह है कि हमारी संस्कृति में तो स्तनपान को आज भी मां और बच्चे के बीच ममता का एक स्त्रोत बताया वहीं मल्टीनेशनल कम्पनीज ने इसे धन कमाने का एक साधन बनाया और उनके फूड प्रोडक्स के ऊपर भरोसा किया। लेकिन मां का दूध प्रकृति द्वारा दिया गया एक सम्पूर्ण एंव पौष्टिक आहार है। आज वैज्ञानिको द्वारा इस बात का तर्क दिया गया है कि मां का दूध ही बहुत अधिक लाभप्रद है। मां का दूध जो पहले ही दिन दिया जाता है उसमें क्लोसट्रन, विटामिन-ए एंड के ,एंटी वायरल प्रोयपटीज होती है। दूसरे, जो दूध बोतल से पिलाया जाता है उसमें प्रोटीन अधिक होती है, शुगर अधिक होती है , सोडियम और पोटाश्यिम,क्लोराइड कम होता है। मां के दूध में इम्योनोब्लोब्यूलिस,ल्यूकोसाईटस और अनेक तरह के उसमें पदार्थ होते है जो कि इजिली डाइजेस्ट हो जाते है। अब अगर पूछा जाए कि मां का दूध क्यों फायेदमंद है इसका एक ही उत्तर है कि उचित समय पर उचित मात्रा में एंव उचित तापमान में मिलता है। इसके अलावा हाइजेनिक और वैल-एब्र्जोर्व होता है। इसका एक और लाभ माताओं को भी होता है। उनको हार्ट डिसीज,डायबिटीज , कैंसर जैसी बीमारियों नहीं होती है और बच्चे भी अनेक रोगो से बच जाते हैं। और इमोशनली उनको सिक्योरिटी भी मिलती है और उन्हें लगता है किहमारे पास कोई है। मैडम, ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत से लाभ और हानियां नहीं है। मैं दो मिनट में इसे खत्म कर रही हूं। मां के लिए क्या लाभ है ? मां के समय एंव शक्ति की बचत होती है क्योकि मां बार-बार बोतल धोने व गरम पानी करने से भी बच जाती है। दूसरे, बच्चों के जो पैदा होने का समय होता है उसका अंतराल भी बढ जाता है , रिस्क कम हो जाता है। इसके अलावा यात्रा में भी सुविधा रहती है । कहीं भी आना –जाना होता है तो आजकल की जो मौर्डन मां है तो वे थर्मस और बोतल वगैरह लेकर चलती है। लेकिन हमारा जो पुराना जमाना था उसमें मां बच्चे को खुद ही अपने आप फीड करती, उनकों बोतल वगैरह धोने की कोई प्रोब्लम नहीं होती थी। इससे परिवार वालों को भी लाभ है मैडम। एक तो धन की बचत होती है क्योंकि 3-3,4-4 बोतल होती है जैसे जूस के लिए अलग, दूध के लिए होती है क्योंकि 6 महीने से ही महिलाएं शुरू कर देती है।तो इसके लिए एक तो धन की बचत होती है,दूसरे आजकल गैस की भी बचत होती है क्योंकि कई जगह गैस भी नहीं मिलती है। बार-बार बोतल के गरम करने से बच जाती है धन की बचत होती है तथा इससे बच्चें भी बिमार नहीं पड़ते है। जैसे अभी प्रेमा जी ने बताया है कि जो घर में काम वाली होती है वह बोतल को ठीक से धो नहीं पाती है, मां के पास भी समय नहीं रहता क्योंकि वह उसको बोइल नहीं कर पाती है इसलिए उससे अधिक बीमारी होने का डर रहता है। इसमें सोसाइटी और कन्ट्री को भी कंट्रीब्यूशन मिलता है क्योंकि

सरकार का हैल्थ पर जो खर्चा होता है और आजकल जो बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहें हैं उसके कारण भी हैल्थ की जो हमारी प्रोब्लम है वह कम हो जाती है। इससे जनसंख्या पर भी कंट्रोल होता है। जैसा कि अभी प्रेमा जी ने इस बात को बताया था और डाक्टर्स भी बतातें हैं तथा जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि अगर मां दो साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो इसमें बर्थ कंट्रोल भी हो जाता है। इसमे पौल्यूशन कंट्रोल भी हो जाता है क्योंकि डिब्बे वगैरह से पौल्यूशन भी होता है।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल (उत्तर प्रदेश): इससे एडल्ट्रेशन भी नहीं हो सकता।

श्री मति सविता शारदाः मैडम, इसमें जो हानियां हैं वे तो बहुत सारी हैं। यह हाइजेनिक नहीं होता है। जो दूध मिक्स करके बच्चों को देते हैं उसमें जो अनपढ़ माताएं हैं उनको पता ही नहीं होता कि कितना पानी मिक्स करना है। तो जब दूध कम मात्रा में और पानी ज्यादा मात्रा में देते हैं तो बच्चे को जो पूर्ण रूप से आहार मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। पुराना दूध पडा होता है या खाद्य पदार्थ पुराना पड़ा होता है उसको माताएं उन्हें दे देती है जिससे बच्चों को हानि होती है। मैडम,मैं यह कहना चाहूगीं कि मां का स्वास्थ्य अगर ठीक रखना है तो हमे अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को समझना चाहिए। गर्भवती महिलाएं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चालाये जाने चाहिए। डाक्टर्स की और दाइयों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गयी है। जो लड़कियां छोटी उम्र में मां बन जाती है, उनके लिए महिला एंव बाल विकास विभाग के द्वारा कार्यक्रम चलाये जाने चाहिए। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले महिलाओं को सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के माध्यम से आहार मिलना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा फूड प्रोडक्ट की नियमित चैकिंग होती रहनी चाहिए। विशेषकर जो बहनें गांव में रहती हैं और जो आंगनवाड़ियां चलाती है, उनके द्वारा ट्रेनिगं प्रोग्राम्स होने चाहिए जिससे कि अनपढ़ बहनें जो गांव में रहती है,उनको इसका लाभ मिल सके।

इसके अलावा जेल में जो बहनें रहती हैं, उनके लिए भी उचित आहार का प्रबंध होना चाहिए। एक्सपायरी डेट वाले जो खाद्य पदार्थ हैं या दूध वाले डिब्बे जो बाजार में मिलतें है,उनकी अच्छी तरह से चैकिंग होनी चाहिए जिससे कि वे बाजार में नहीं बिक पायें। इसके अलावा प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रानिक मीडिया जो अधिकतर यह प्रचार करता है यदि महिलाएं समय बचाना चाहती हैं तो जो तैयार भोजन है उसको अपने बच्चों को खिलायें। लेकिन पुराने जमाने में हमारे घर में दाल का पानी, चावल का पानी बच्चों को दिया जाता था। यदि हम दों साल की उम्र तक के बच्चों को इस तरह की चीजें खिलाती हैं तो मुझे लगता है कि इससे बच्चे को घर से भोजन मिल जाता है। डिब्बा बंद भोजन कब का बना है, कैसा बना ,उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से दो-तीन बातें यही कहना चाहती हूं कि जो इलेक्ट्रानिक मीडिया डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ का प्रचार-प्रसार कर रहा है,इसकी भी अच्छी तरह से चैकिंग होनी चाहिए। हैल्थ मिनिस्ट्री

की तरफ से और आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी प्रोग्राम निर्धारित किए गए हैं , उनको पूर्णरूप से लागू किया जाना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: We should also understand the ambit of the Bill. What is this Bill about? There is no dispute that breast-feeding is better than other milk substitutes. There is no dispute about it now. The Hon. Minister has also just now mentioned that. So, try to talk on the subject itself. Shrimati N.P. Durga.

SHRIMATI N.P. DURGA (Andhra Pradesh): Madam, it is estimated that 156.4 million children are malnourished all over the world, and *10* per cent of them are found in the Asia-Pacific Region. And among these Asia-Pacific countries, India has the highest number of children who are malnourished. And this Bill, I am sure, will reduce malnourishment, encourage continued breast-feeding, and prohibit all forms of advertisements and promotion of infant milk substitutes and infant foods in the market. Infant malnutrition is a major contributory cause of high incidence of infant mortality, morbidity, and physical and mental handicaps. As per the scientific reasoning, mother and infant form a "biological unit,' and the breast-feeding is an integral part of reproductive process. This is a natural and ideal way of feeding the infant, and it provides a unique biological and emotional basis for a healthy development of a child. The antibodies in the milk of mother protect the infant against diseases. So, we have to educate the people by clearly explaining them the health hazards involved in feeding with bottles and using milk substitutes. There is also a need to bring awareness about breast-feeding as a right both for mother and child. I particularly welcome the amendments proposed to Section 2 and 3 of the parent Act. But. I fail to understand why the Hon. Minister wants to increase the age under Clause 2(iii)(f) from four months to six months. I think, this four months period is appropriate. Anyway, I shall be highly obliged if he could explain the reasons behind this increase, apart from the WHO Resolution.

The next point is that a majority of the baby food manufacturing companies in India are multinationals, and they are based in other countries. So, I would like to know from the hon. Minister as to how he is going to control those companies and how he is going to put restrictions on advertising baby food on the international channels, such as, BBC, CNN, CNBC, etc., which are beamed into the country under Clause 2(a) of the Bill. I would also like to know how the Hon. Minister is going to contain the international chain of agencies which are very well aware of the psyche of India. You can very well contain the Indian

companies such as Amul, etc., because they areस based in our country; and advertising through our own private channels or Doordarshan. I also suggest to the hon. Minister to take steps to bring awareness among the people and also educate them about the correct feeding practices and its advantages to mother and child. There should also be awareness regarding proper nutrition during pregnancy and lactation period. And, most important of it is that we have to have the community support for these initiatives. We should also advertise this extensively, the way we are advertising our family planning programmes. So, I request the Hon. Minister to look into the aspects that I have mentioned and take appropriate steps for promoting breast-feeding and reducing the use of infant milk and food substitutes in the country. Thank you.

श्रीमती चन्द्रकला पांडे (पश्चिम बंगाल) : माननीय उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री जी शिशु दुग्ध अनुकल्प,पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन,प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम,1992 जो लाए हैं, मैं उसका स्वागत करती हूं क्योंकि कम से कम यह एक दिशा में अच्छी पहल है कि ऐसे ऐडवरटाइज़मेंट्स पर, ऐसे विज्ञापनों पर इससे रोक लगाई जा सकेगी जो इस प्रकार अतंर्राष्ट्रीय दबाव में आकर ऐसे विज्ञापन दिखाते हैं जिन विज्ञापनों से माता के दूध के विकल्प के रूप में डिब्बों के दूध को दिखाया जाता है । उपसभापति महोदया,जिस देश मे"जननी जन्मभूमि , स स्वार्गादपि गरीयसी" कहकर मातृभूमि और माता को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया गया है, वहां आज मातृत्व का अर्थ मुसीबत बन गया है । सामाजिक ताने-बाने में लड़की होने के अर्थ को ही दहेज से,अनचाहे मातृत्व से और पोषण के अभाव में मरने वाली महिलाओं से जोड़ दिया गया है । वैस यदि हम देखें तो सृष्टि में जो भी मादा प्राणी है, उसे मातृत्व का गौरव प्राप्त करने का अधिकार है और मातृत्व के साथ-साथ प्रकृति ने यह प्रावधान भी दे दिया है कि बच्चों को शिशु आहार मिल जाए । माताएं, अगर उनकी शरिरिक क्षमता होती है, बीमार नहीं होती , उन्हें उचित पोषाहार मिला जाता है, वे किसी भी प्रकार की रक्त स्वल्पता का शिकार नहीं होती हैं तो अपने बच्चे को दूध पिलाने से वे वंचित नहीं करती हैं लेकिन अनेक मजबूरियां और विसंगतियां भी है । मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करूंगी कि वे उन पर भी विचार करें । जैसे कि अभी हमारी माननीय साथी दुर्गा जी ने बताया कि जो दूरदर्शन चैनल हैं, इस पर जो विज्ञापन आते हैं, हो सकता है कि उन पर रोक लग जाए लेकिन प्राइवेट चैनल्स पर और अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पर जो विज्ञापन आते हैं जिनमें "equivalent to mother's milk""मातृदूध का विकल्प" आदि विज्ञापनों द्वारा जनता का ध्यान खींचा जाता है और अनेक साधारण परिवार की माताएं यह सोचने पर विवश हो जाती हैं कि शायद माता के दूध से भी, हमारे दूध से भी अच्छा यह हो सकता है, उनमें हीन भावना भी जागृत होती हैं । बहुत सारे जो डिब्बा बंद दूध है, उनके बेबी शोज़ वगैरह बड़े बड़े शहरों में दिखाए जाते हैं । इन बेबी शोज़ पर भी प्रतिबंध लगाने की जरूरत है क्योंकि एक

जमाने में "ग्लैक्सों बेबी" होना एक बहुत ही स्वप्निल आदर्श था और बच्चों को माताएं ग्लैक्सी दूध पिलाकर सबको "ग्लैक्सो बेबी" बनाना चाहती थीं । इसी प्रकार लैक्टोजन और लैक्टोडेक्स जैसे और भी बहुत जातीय दूध हैं जो अपने दूध को बेहतर दिखाने के लिए बड़े बड़े शहरों में कार्यक्रम आयोजित करते हैं और माताओं को आकर्षित करते हैं कि वे इनमें अपने बच्चों को लेकर जाएं । मुफ्त में भी इस तरह के दूध बांटे जाते हैं । ये सारे जो कार्यक्रम होते हैं, शोज़ होते हैं उन पर भी रोक लगाई जानी चाहिए । इस देश में बहुता सारी बुराइयां हैं,विसंगतियां हैं जिनसे यह विसंगति भी जुड़ जाती है। जैसे बहुत कम उम्र मां बनने की बीमारी है, बहुत छोट छोटी बच्चियां हैं जो किसी भी अनचाही घटना का शिकार हो जाती हैं, बलात्कार का शिकार हो जाती हैं और अनचाहा मातृत्व उन्हें भुगतना पड़ता है । ऐसी माताएं अपने बच्चों को कई बार अनाथालयों के सुपुर्द कर देती हैं ।इसमें एक जगह कहा गया है कि " अनाथालायों में इस प्रकार बोतल और बोतल के दूध के लिए किसी प्रकार की बंदिश नहीं होगी" मैं यहां कहना चाहूंगी कि जो प्लास्टिक की बोतल होती है, उस बोतल को बैन कर दिया जाए क्योंकि इससे बहुत सारे जर्म्स पैदा होते हैं और सफाई आसानी से नहीं रखी जाती । इसलिए प्लास्टिक की बोतल की जगह कांच की बोतल का प्रावधान रखा जाए । हमारे देश में लड़के और लड़की के बीच में भेदभाव बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है । मीडिया द्वारा इस प्रकार के प्रचूर कार्यक्रम लिए जाएं जिनमें पुत्र और पुत्री के बीच किसी प्रकार का भेदभाव न हो ।

बाल विकास के लिए भी मीडिया का प्रचूर उपयोग किया जाए । छःमहीने की उम्र तक बच्चा मां का दूध पिए, उसे दो वर्ष तक अनुपूरक खाद्यों के साथ भी मां का दूध पिलाया जाए जो कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बेहतर हैं, इस बात को अमली जामा पहनाने के लिए मंत्री जी जो बिल लाए हैं, वह काफी अच्छा है लेकिन मैं इसमें कुछ सुझाव देना चाहूंगी । जैसे छः महीने तक माताओं के लिए जो बच्चों को दूध पिलाने की बंदिश रखी जा रही है, उसमें कामकाजी महिलाओं के बच्चों के बारे में क्या सोचा जाएगा ? आज कामकाज की तलाश में महिलाओं को कई-कई घंटे घर से बाहर रहना पड़ता है । क्या उनके लिए प्रचुर मात्रा में creches की व्यवस्था की जाएगी ? यदि छः महीने तक जो दूध पिलाने की बात की जाती है तो जो creches है,वे उनके कामकाज के स्थल के आस-पास बनाए जाएं ।चूंकि यह आपकी मिनिस्ट्री से संबधित नही है तो क्या आप श्रम मंत्रालय से बात करके इस पर ध्यान देंगे ? अगर छः महीने तक दूध पिलाना नियमतः आ जाता है और मैटरनिटी लीव तो साढ़े चार महीने की ही मिलती है, तो क्या उन कामकाजी माताओं को छः महीने की मैटरनिटी लीव भी दी जाएगी ?

क्या आंगनवाड़ी व्यवस्था को और अधिक मज़बुत किया जाएगा ? आज हम देखतें हैं और अखबारों में भी यह पढ़ने को मिला कि युनिसेफ ने केरल को "बेबी फेंडली" घोषित किया है । वहां कुछ एन.जी.ओज के माध्यम से बहुत ही बड़े स्तर पर कैम्पेन चलाया जा रहा है कि माता का

दूध ही सबसे श्रेष्ठ दूध है। शिशु विशेषज्ञ भी इसमें शामिल हैं और बहुत पैमाने पर गांवों में जाकर इसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। ऐसे ही अन्य प्रदेशों में भी एन0जी.ओज को अपने साथ लेकर मातृ-दूध को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम लिए जाएंगे।

महोदय, बाल-विवाह आयोजन की प्रथा अभी भी दिखाई देती है इसलिए बाल-विवाह पर भी बंदिश लगाने की जरूरत हैं। हमें जमीनी सच्चाइयों को पहले जानना पड़ेगा। बहुत सारी माताएं जो कुछ सम्पर्कजनित बीमारियों के कारण अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकती है, उनके लिए राष्ट्रपति महात्मा गांधी बकरी के दूध को बहुत अधिक मान्यता देते थे। यदि माता अपनी संतान को अपना दूध पिलाने में अक्षम है, तो क्या advertisement में गाय और बकरी के दूध को पिलाने का बढ़ावा दिया जाएगा ? मेरा निवेदन है कि गाय और बकरी के दूध को अशक्त माताओं के दूध के विकल्प के रूप में माना जाए और इसके लिए advertisement दिखाए जाने की जरूरत है। शहरों में नर्सिंग मदर्स के लिए सबसिडाइज्ड फूड दिया जाएगा,मैं सोचती हूं कि tinned boxes का advertisement बंद करने से ही बड़ा फायदा नहीं होगा। हमें एक बहुत बड़े जन-जागरण अभियान को चलाने की जरूरत है और बच्चों के मनौवज्ञानिक एंव स्वस्थ विकास के लिए माता के दूध को उनके साथ जोड़ने की जो जरूरत है, उसके लिए हम किस तरह बड़े पैमाने पर शिक्षा कार्यक्रम चलाएंगे और बड़े पैमाने पर जन-जागरूकता अभियान चलाएंगे, इसकी ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। माननीय मंत्री जी अगर ऐसा करें तो मैं अनुगृहीत होऊंगी, धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shrimati S. G. Indira;

श्रीमति शबाना आज़मी (नाम-निर्देशित) : केवल महिलाएं ही बोल रही हैं इस पर।

THE DEPUTY CHAIRMAN : This is the privilege of women only. God did not give this privilege to men If the bottle was promoted, then the men also can p uticipate.

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश) : मैडम, जिस तरह से मां का प्रिविलेज है पिलाने का, वैसे ही हम पीने वालों का भी प्रिविलेज हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : वैसे मां का दूध पीने का हक तो हमें भी हैं।

उपसभापति : आप तो वह हक ले चुके हैं।

डा.मुरली मनोहर जोशी : कोई बात नही,वे भी पिला चुकी हैं, उसमें तो कोई बात नहीं है।

SHRIMATI S. G. INDIRA (Tamil Nadu): Thank you. Madam, for giving me an opportunity to say a few words on the Infant Milk Substitutes, Feeding

Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Amendment Bill, 2003.

Madam, we are very happy that this Bill has come up for consideration at an appropriate time. We appreciate the intention of the Government to propagate the importance of the breast-feeding. It is the recommendation of the World Health Organisation that those who want that their children should be brought up in a healthy manner, breast-feeding is very essential for them. We all know that in villages, in ancient times, even now also, when the village woman gives birth to a child, after one or two months, she goes to the farm to do agricultural work, she makes some cradle in the branches of a tree and puts the child inside the cradle.

And put the child inside the cradle. While doing the work, she used to feed the child. That child is very healthy and is having proper immunity against diseases. So, breast-feeding is very essential. We must create awareness among the women residing not only in the rural areas but also in the urban areas. We must see whether the mother is having the potential to feed the child, if she is not taking proper food due to poverty and lack of availability of food material. If she is not at all taking proper food, she cannot feed the child properly. So, here 1 would like not only to stress upon women who like to feed their children but are not capable of feeding, but those who are capable of feeding but are not willing to feed their children. We must change the trend and we must create awareness among women that breast-feeding does not affect beauty. We must emphasise that point. Being a woman, I am having the privilege of stressing this point here. I would also like to say that at the time of delivery, doctors should give some instructions and awareness to those women who are in their custody for delivery that breast feeding is very essential for children. We have to educate women mat breast feeding till the age of two years .... not six months .... increases the mental ability and physical ability of children. If also gives the child psychological and moral support because at the time of breast feeding the child feels the presence of mother. I would like to stress that the purpose of this enactment and amendment should reach the concerned people properly. It should not be merely to satisfy the international obligation to show that we have done all this. It should not remain just a scheme on papers. Its real implementation is very essential.

Madam, I would like to draw the attention of this august House and the hon. Minister that at the moment of normal delivery lakhs of blood vessels are thrown

open. The nioiher also gets new health for feeding the child. But in so many private hospitals and clinics, all the doctors — not all most of the doctors—are interested in money making. They are not interested for the normal delivery. As a result of this, in privarte hospitals so many middle-class and poor women go in for Caesarean delivery. Doctors and Medical Officers create such a situation in the minds of women that they do not go in for normal delivery. Now, there is decrease of no *nm* I delivery and most of the women are compelled to go in for Caesarean dv;: , The responsibility to explain the circumstances, which led to Caesarean delivery, should be on doctors and gynaecologists. The Government should create that situation and make laws in this regard. The other very important and valid point in this regard is that, in a lot of weekly magazines, novels and newspapers, we read about the marriage of under-age girls. So, I would suggest that penal action should be taken against such people who resort to the practice of marriage of under-age girls. Even in the newpapers, we are reading about that thing. So, at the present moment, merely passing a law to encourage breast feeding is not enough, but, it is also very essential to make an amendment to the existing law, to extend the period of maternity leave for the women employees. At the moment, they are allowed three months maternity leave, which must be extended to six months. Here, it is also relevant to mention that even after six months, emphasis should be laid on the point that up to a period of two years, breast feeding is very essential. So, the Government should come forward to help the State Governments to have child centres and creches in the organised and unorganised sector. I request the Government to take this point into consideration. So many advertisements are appearing in the newspapers stating therein that a par.-.cular. vpe of food is much more nutritious than mother's milk. Such type of advertisements should be banned. We must create an awareness among the people m this regard. Every mother should know about her responsibility of feeding her child. So, this type of awareness should be created.

Lastly, I request the hon. Minister to set up a Commission for Children, which can take care of the health and welfare of f'ic child from the birth itself. Madam, I once again thank you for giving me this opportunity to speak on this very important Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The setting up of a Commission for Children is a good suggestion.

डा.कुमकुम राय (बिहार) : उपसभापति महोदया, हमारे विद्वान और परमयोग्य मंत्री जिस विधेयक को संशोधित रूप में यहां लाए हैं, कहा तो गया है कि इसमें टैक्नीकल शब्दावली के संशोधन के लिए ही यह रखा गया है, लेकिन वह अति महत्वपूर्ण है । यह आर्थिक उदारीकरण का जमाना है और बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने और बहुत सारे ऐसे उद्योगपतियो ने प्रचार तंत्र और विज्ञापन के माध्यम से हमारे देश में या विश्व के अन्य देशों में इस प्रकार का वातावरण पिछले कुछ वर्षो में तैयार किया है कि माताओं का जो दूध है उसके विकल्प में भी बहुत सारे उत्पाद और बहुत सारी चीजें बाजार में आ गई हैं । यहां तक कि जो कम पढ़ी-लिखी और बिना पढ़ी-लिखी महिलाऐं हैं वे भी इसके प्रभाव में आ गई हैं । ये चीजें प्रचार माध्यमों,रेडियों,टी वी और पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा गांवों तक में पहुंच चुकी हैं । देखने में यह मिला है कि अकसर माताएं शुरू में तो अपना दूध बच्चों को पिलाना शुरू करती हैं लेकिन कुछ ही महीनों के बाद वे उसे बंद कर देती हैं । उस दूध को बढ़ाने का भी पांरपरिक तरीके से इतंजाम हुआ करता था । हमारे देहात में भी कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ नव प्रसूता माताओं को खिलाएं जाते थे जिससे कि उनका दूध बढ़े, ताकि बच्चा ज्यादा समय तक दूध पिए । हम लोगों ने देखा है कि शहर से लेकर गांव तक इन चीजों का असर पड़ा है और अब यह डिब्बा बंद दूध तो हमारे गांव की छोटी से छोटी दुकान पर भी सजा हुआ दिखाई पड़ने लगा है । इस पगार का भ्रॉमक प्रचार विज्ञापनकर्ता मल्टी नेशनल्ज ने यह सब किया है । कहा जाता है कि एक झूठ यदि सौ बार बोला जाए तो वह सच हो जाता है । इस झूठ का बार-बार प्रचार माध्यम से,विज्ञापन के माध्यम से हमारे मनों पर बहुत प्रभाव पड़ा है । इससे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि हमारे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता घट गई है । बच्चे जल्दी-जल्दी बीमार होने लगे है और वे दवाइयों पर आश्रित होने लगें हैं ।इसलिए आज यह जो संशोधन के साथ बिल आया हैं इसका पुरजोर स्वागत किया जा रहा है और इसकी बहुत आवश्यकता भी थी ।मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो कहा है मैं उन तमाम बिंदुओं से अपनी सहमति जताते हुए और सदन का ज्यादा समय न लेते हुए बस यही सुझाव देना चाहती हूं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने जो जननी गौरव योजन शुरू की है, इसमें मेरा ऐसा मन है कि शायद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसी वजह से इस योजना का ऐसा नाम रखा कि उसमें बालिका के जन्म के समय एक हजार रूपये की जो राशि दी जाएगी और बालक के जन्म के समय पांच सौ रूपये की जो राशि दी जाएगी....। हमारे स्वास्थ्य केन्द्रो के माध्यम से जब यह पंजीकरण होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद और इस से जुड़े जो अन्य मंत्रालय है, उनके साथ कोऑर्डिशन का लाभ इन्हें जरूर मिलेगा । मैडम, अब ऐसे विज्ञापन भी हों कि किस प्रकार हमारी माताएं बच्चे को जन्म देने के पश्चात दो वर्ष की अवधि तक अपने बच्चे को दूध पिलाएं जिस से कि वे अपने बच्चों को पुष्ट बनाने के साथ-साथ खुद भी परिवार नियोजन का एक प्राकृतिक उपाय अपना सकेंगी । इस के अतिरिक्त उन्हें उस समय जो एक हजार रूपए मिलता है, उस राशि से वह खुद पौष्टिक भोजन खाकर ज्यादा समय तक बच्चे को दूध पिलाने में सक्षम हो सकती है । दूसरा,सुझाव मैं यह देना

चाहती हूं कि पंचायतों में हमारे जो आंगनवाडी केन्द्र हैं, उनके ऊपर भी इस बारे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ती है । आपने उन का मानदेय बढ़ा दिया है लेकिन वहां इस तरह की साहित्स सामग्री का वितरण किया जाना चाहिए जो कि सरल,आंचलिक बोली में हो । साथ –ही –साथ उन का लगातर प्रशिक्षण भी होना चाहिए ताकि आंगनवाडी और बालवाड़ी से जुड़ी जो महिलाएं हैं, वे इसके महत्व को समझ सकें कि माता का दूध बच्चे के लिए कितना महत्वपूर्ण हैं और वे दो वर्ष तक निश्चित रूप से अपने बच्चे को दूध पिलाती रहें । इस के लिए हमारे सरकारी तंत्र और गैर-सरकारी तंत्र के द्वारा प्रचार की बहुत आवश्यकता भी दिखलाई पड़ती है । इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी द्वारा बिल का मैं स्वागत और समर्थन करती हूं ।

श्री ईसाम सिंह (उत्तर प्रदेश) : महोदय, आपके आदेशानुसार मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत शिशु दुग्ध अनुकल्प,पोषण बोतल और शिशु खाद्य संशोधन विधेयक,2003 के सबंध में अपने कुछ 3.00 p.m.

सुझाव ही सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा । महोदय, आज केसमय में बाल विकास, देश के विकास की सूची में हमारी पहली प्राथमिकता है क्योंकि देश का भविष्य ही उस पर निर्भर करता है । वर्तमान स्थिति में हमारे देश में एक वर्ष से लेकर दो वर्ष तक के 12 परसेंट बच्चे मौजुद हैं । मुझसे पूर्व के वक्तओं द्वारा कही बातों से मैं भी सहमत हूं और उनके विचारों के साथ अपने को संबद्ध करता हूं ।

महोदया, मेरे दो-तीन सुझाव हैं । जहां तक माताओं के स्तन पान से संबधित बच्चों के पोषण की बात है, कई तरह की दिक्कतें हमारे देश के अंदर हैं । मैंने वर्ष 1998-99 की रिपोर्ट में पढा है कि 9 राज्यों में आयोडीन की कमी 50 परसेट से भी ज्यादा है जिस में हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश भी शामिल है । महोदय, जब माताओं के शरीर में आयोडीन की कमी रहती है तो निश्चित तौर पर बच्चे की मानसिकता व शरीरिक विकास में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए,उस में कमी रहेगी । इसलिए मेरी ओर से सुझाव है कि विशेषकर तमिलनाड़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल,गोवा,कर्नाटक,राजस्थान,बिहार और उत्तर प्रदेश इन राज्यों में 50 परसेंट से कम आयोडीन की मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है । मेरा यह सुझाव है कि इन राज्यों की सरकारों को निर्देशित किया जाए कि आयोडीन-मुक्त नमक यदि उन राज्यों में हो तो उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और आयोडीन-युक्त नमक इस्तेमाल किया जाए। यह मेरा एक सुझाव है ।

महोदया, दूसरा जब माताएं दूध पिलाती है तो उनक शरीर से पोषक आहार जाता है बच्चों के लालन पोषण के लिए । विशेषकर ऐसा देखा गया है कि माताओं के अंदर विटामिन ए और बी की कमी हो जाती है और अकसर देहातों में,चूंकि उन माताओं को कोई शिक्षा नहीं देता है, वहां एक खाद्य पदार्थ होता है पोस्त,जब माताओं में दूध की कमी होती है तो वह पोस्त मात्र को भिगोती है, रगड़ती है, पीती हैं और उससे दूध बढ़ जाता है । इसमें विटामिन ए और बी की मात्रा भरपूर होती

है । तो मेरा सुझाव यह है कि सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाए कि विशेषकर जहां गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं, वहां की माताओं के लिए इस खाद्य पदार्थ का वितरण कराया जाए ताकि बच्चों के अंदर पौष्टिक आहार की कमी न हो ।

इसी के साथ ही, महोदया, मैं सरकार को बधाई देना चाहुगां कि सरकार का नजरिया नौंवी पंचवर्षीय योजना में अच्छा रहा हैं । यह रिकार्ड है कि नौवी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारों के सबंध में अनुपूरक के लिए वर्षवार जो आवंटन किया गया है,उससे स्पष्ट है कि यह सरकार चिंतनशील है क्योंकि नौंवी पंचवर्षीय योजना में 3,701.21 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया था, लेकिन इसक सापेक्ष में 4,283.48 करोड़ रूपए राज्यों को आवंटित किए गए अनुपूरक मांगों के आधार पर,अर्थात् 582.27 करोड़ रूपए अतिरिक्त पिछली नौंवी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार ने राज्यों को उपलब्ध कराए हैं । इसलिए मैं सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं । इसी के साथ ही एक सूझाव मैं यह देना चाहता हूं कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों मे सभी गर्भवती महिलाओं और छह वर्ष तक के बच्चों को एक रूपया प्रतिदिन की दर से 300 दिन के लिए पोषण उपलब्ध कराने की बात कही गई है,इस ओर सरकार ध्यान देकर इसको थोड़ा और बढ़ाए ताकि बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके। यह मेरा सरकार से अनुरोध है ।

उपसभापति महोदया, बाकी मेरे से पूर्व जिन वक्ताओं नें अपने विचार रखें हैं,मैं उन सभी वक्ताओं के विचारों से अपने को सबंद्ध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री मती गुरचरण कौर (पंजाब) : उपसभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं । इसके साथ ही मैं शिशु दुग्ध अनुकल्प , पोषण बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन,प्रदाय और वितरण विनियमन) संशोधन विधेयक ,2003 का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं । माननीय मंत्री जी ने यह बिल यहां लाकर बच्चों के स्वास्थ्य को ही नहीं बचाया बल्कि इसके साथ ही साथ मां की ममता को बचा लिया है और बहन भाइयों के प्यार को भी बचा लिया है । यह बिल बहुत ही बढ़िया बिल है । जो समय की मांग थी,उसको ध्यान में रखकर यह बिल माननीय मंत्री जी यहां लाए है, इसके लिए मैं इनका बहुत ही बहुत धन्यवाद करती हूं ।

उपसभापति जी, कैसी कैसी धारणएं बन चुकी हैं कि अगर मां बच्चों को दूध पिलाएगी तो उसकी सुन्दरता खत्म हो जाएगी । महोदया,एक बार की बात है कि अकबर ने बीरबल से कहा कि मुझे आपकी माता को देखना है, वह कितनी सुंदर होगी अगर आप इतने विद्वान और सुंदर हो । वह बेचारी काली –कलूटी थी, बीरबल को उन्हें दिखाने में शर्म आ रही थी । जब माता का पता चला तो वह बोली-बेटा ,मैं जरूर उसके पास जाऊंगी, तुम घबराओ मत क्या हुआ अगर मैं सुंदर नहीं

हूं तो ? जब वह महराज अकबर के पास गई तो उसने मुंह लपेटा हुआ था और अपनी कोख को फाडकर उन्हें दिखा दिया । इसका भाव यह था कि माता की सुंदरता,बच्चों की सुंदरता और बच्चों के बढ़ियापन में हैं, न सिर्फ अपने लिए है । अगर सुंदरता सिर्फ अपने लिए हो तो सारे राष्ट्र का सर्वनाश हो जाता है ।

महोदया, इसी पर एक छोटी सी कहावत भी है कि बच्चा बाज न सोंदियां मांवा चाहे सत्तर हूरा परियां । मां की सुंदरता अपने बढियां बच्चों के साथ हैं आज के जमाने में हम क्या देखते हैं कि बच्चा,मां को नहीं ढूंढता । आज ममता खत्म है । बच्चा किसे ढूंढता है ? वह बोतल को ढूंढ रहा है । तो बताओं मां और बच्चे का प्यार कैसे चलेगा ? कैसे वह कहेगा कि मां, मैने तेरे दूध का कर्ज चुका दिया है । कर्ज़ वह तभी चुकाएगा जब मां ने दूध पिलाया होगा ।मैं तो समझती हूं कि आज की माताएं अपने कर्तव्य से विमुख हो रही है । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है भारतीय माताएं तो ऐसा कभी भी नहीं करती थीं । वे अपने बच्चों को इतनी ममता के साथ दूध पिलाती थी कि वे सारी प्रकृति पर बलिहारी जाती थीं। जब भी हम प्रकृति के नियमों की अवहेलना करते हैं, तभी हम पर मार पड़ती है ।

महोदया, मैं देखती रही हूं कि मेरी मां के 7 बच्चे थे लेकिन वह इतनी ह्रष्ट-पुष्ट थी, उनकी फिगर इतनी बढ़िया थी कि मैंने किसी नौजवान औरत की नहीं देखी होगी । मैं कमजोर हूं इसलिए कि मैं सातवीं थी, इसलिए मैं बेशक थोड़ी कमजोर हो गई हूं लेकिन मेरी मां ने दूध पिलोने में किसी प्रकार का अंतर नहीं किया । मां तो वही होती है जो अपने आपको बच्चों पर निछावर कर दें ।

उपसभापति : आप यह मत सोचिए, आप जरा भी कमजोर नहीं है ।

श्रीमति गुरचरण कौर : मां तो वही होती है जो अपने आपको निछावर करके भी अपने बच्चों को बलवान,ह्रष्ट-पृष्ट और बढ़ियां बनाती है । भाइयों में प्रेम क्यों था ? अब हम ढुंढ रहे हैं रामायण में – आदर्श भाई, आदर्श पिता , आदर्श पुत्र,सब कुछ आदर्श । लेकिन भाइयों-भाइयों में प्यार कैसे होगा, भाइयों-बहनों में प्यार कैसे होगा ? जब हमने एक मां का दूध पिया होगा, हमारी मां ने मन से एक जैसा प्यार हमें दिया होगा, तभी यह प्यार की भावना चलती रहेगी और हमारी जो पुरानी संस्कृति और सभ्यता है,हमारे जो पुराने आदर्श हैं वे तभी कायम रह सकते हैं जब मां बोतल के बजाय अपना दूध बच्चों को पिलाएगी ।

महोदय, मां का दूध बच्चों को ह्रष्ट-पृष्ट बनाता है,उसमें वे सभी तत्व होते हैं जो और कहीं नहीं मिल पाते लेकिन दुःख की बात यह है कि वे कंपनियां बड़े-बड़े विज्ञापनों के माध्यम से मां के दूध और बच्चे के स्वास्थ्य की तुलना में पैसे को महत्व दे रही है । यह बहुत ही निंदनीय बात है ।

मंत्री जी ने बहुत सोचा होगा, खूब विचार किया होगा, तभी यह बिल्ल वे यहां लेकर आए हैं ।यह बिल हमारे लिए बहुत जरूरी हैं । मैं यह सलाह देना चाहती हूं कि हमें माताओं को दूध पिलाने के लिए संस्कारित करना चाहिए । संस्कारित माताएं कैसी होंगी ? आज की माताओं और पिछली माताओं में बड़ा अतंर है ।आज की माताएं बच्चों से बढ़कर अपने आपको महत्व देती हैं लेकिन मैं समझती हूं कि हमारे जैसी बुजुर्ग महिलाओं का यह कर्तव्य बनता है कि अपनी बेटियों को,अपनी बहूओं को यह शिक्षा दें कि मां का दूध ही पवित्र दूध है, वही ममता का खजाना है, इसी से बच्चे बलवान होते हैं । हमारे देश में भीम जैसे लोगों ने हाथी चलाएं ।

इसका भाव यह है कि हमारे इतने लोग बलवान थे और सेहत की तरफ ध्यान देते थे क्योकिं उन्होनें अपनी मां का दूध पिया हुआ था । आज भी लड़ाई के मैदान में कहते हैं कि कौन जीतेगा तथा वही आएगा सामने जिसने मां का दूध पिया होगा । मैडम, मां का दूध बहुत ही महत्वपुर्ण है । महिलाएं इकट्ठा होकर किस प्रकार अपने बच्चों को संस्कारित करें यह भी एक तरह से सोशल वेलफेयर की सीख देनी चाहिए .... (समय की घंटी).... वैसे तो महिलाएं कहती रहती है लेकिन आज की बेटियां, आज की बहनें मानने वाली नहीं हैं वे कहती हैं कि हम बाहर जाने वाली औरतें हैं हम बच्चों को दूध कैसे पिलाएंगी । लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है,यह तो बहाना होता है । चार घंटे में एक बार छुट्टी होती हैं तथा बच्चों को नजदीक क्रेच में भी रखा जा सकता है । क्रेचज का अच्छी प्रकार से प्रंबध किया जाए तो भी यह बात ठीक बैठ सकती है । अगर माताएं मन से चाहे कि हमें अपने बच्चों को दूध पिलाना हैं और अपनी ममता को नहीं खोना है, अपने बच्चों से आदर सत्कार प्राप्त करना हैं तो माताओं को अपने फर्ज को निभाना चाहिए । मेरी एक दो बहनों ने जो यहां पर बातें कहीं हैं मैं उनकी पुनरावृति नही करूंगी लेकिन यह जरूर चाहूंगी कि हम सब का कर्तव्य बनता है कि जो-जो भी हमारे सम्पर्क में आएं हम लोग मां के दूध की विशेषता बताते हुए उनकों आकर्षित करें और दूध पिलाने के लिए प्रेरति करें । यह कुदरत ने कैसी बढ़िया चीज दी है। उपसभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देतीहूं कि यह बिल बहुत ही बढ़िया बिल है लेकिन सिर्फ कागजों में नहीं रहना चाहिए, इसकी शिक्षा सबको जरूर मिलनी चाहिए और इससे बच्चे मां का दूध प्राप्त कर सकेगें ।मां का दूध तो मां का दूध ही होता है यह हमारे लिए अनिवार्य हैं । धन्यवाद ।

SHRIMATI SHABANA AZM1: Madam, as the hon. Minister has explained, it is just the technical details wliich arc being added to the Bill that has already been discussed. In all fairness, we should have really passed it without any discussion. But, I think, it is important simply because there are so many occasions when we rush to oppose what the Minister suggests, and the very few instances, at least in my case, when we totally agree with what he is

saying, I think, we should give him all our support. So, I rise to support the Bill.

Madam, in spite of the Government's continued efforts, the infant mortality rate continues to be very high in India. It is estimated that India has the highest number of malnourished children in the world, and two-thirds of the babies bom have low birth weight because health is inno party's political agenda, and women's health even less so. It is seen that the number of mothers who die due to pregnancy-related issues alone in one week in India is more than that in all of Europe in a whole year. These are just related to pregnancy. Actually, experts have estimated that 70 per cent of these deaths are entirely preventable. What we are saying, in fact, is that the number of women we lose in one year in India is the same as having 300 airplane crashes a year. Can you imagine what would happen? Governments would fall if that were true. But Because it is a matter of women and their health,—it is, especially, the rural women who are dying—nobody is taking any notice. Now, as regards population stabilisation, as the hon. Members before me have said, when this is a matter of such concern to us, we have to see how infant mortality and maternal mortality are really connected with this issue. Even for population stabilisation, we have to ensure both, control on maternal mortality and infant mortality.

The WHO has found—based on findings of international agencies and researchers—that ideally the infant thrives best on exclusive breast feeding for the first six months of life as well as continued breast feeding together with complementary food for the first two years. However, advertising campaigns, which promote infant milk substitutes, feeding bottles and infant foods, work on the psyche of the feeding mother, in such a way, as to promote a feeling of tremendous inadequacy in her. She is fooled into believing that milk substitutes will ensure better health for her child and she starts feeding her infant with this, in spite of, hardly being able to afford it. Moreover, it becomes worse because rural women do not have facilities to sterilise the feeding bottles and nipples, etc. All of us know how safe is drinking water in our country, particularly in rural areas. We have the dubious distinction of ranking amongst the lowest in quality of drinking water. Most mothers do not even use the three tablespoons, they use much less than the quantity that is required because of the poor awareness levels. Now, we are aware that diarrhoea remains a major cause of infant deaths and contributes to the high incidence,as faulty practice associated with misuse

of milk powder whi ch, advertising promotes. Now, I am not normally in favour of banning anything, because I feel that instead of banning something, we really should be able to produce counter-images, and then make people aware. But in this one instance, I think all liberal people would also make an exception and say just as we talk about banning advertising which promotes the use of tobacco, or promotes the use of alcohol, or promotes the use of drugs, in the same way, this would be one of those few instances where we would say that, 'Yes', banning is justified. But, however, it is extremely important to see that these counter-images that we create, promoting breastfeeding are done with a lot of sensitivity. It is wonderful that we herald motherhood; we say all the wonderful things that have been said here, but I think we have to do it very carefully. We must understand another tiling. In the advertising, there is a danger that you will fixate women only in her capacity as a mother and celebrate that. But what we are saying, it is wonderful to celebrate her as, a mother, but she is an entity in her own right and all her aspects should be celebrated. That is extremely important that we say that a woman is also more than just a mother and it is also important that the counter-images are done with sensitivity, so that in certain instances when mothers are not able to provide breastfeeding, simply because they have constraints of time, they have to be working mothers, they should not be made to feel guilty about it It is very easy to turn this into a black and white and say you are a wonderful mother, only if you breastfeed, and, if you do not do it, you feel guilty. So, it is extremley important that we create these counter-images, recognising that a woman's right to be a mother is to be celebrated. But a woman is a woman in her entirety, and, in certain instances, either she is not able to produce enough milk to breastfeed the baby or there are other constraints on her, and it has to be done in way that the blame game is not apportioned to her. That is my only suggestion. Thank you, very much.

THE DEPUTY CHAIRMAN: 1 think, the Mothers' Day is some time this week. I do not know...*(Interruptions)* No, Mothers' Day. Women's Day is on 8th of March. I think 11th May is the Mothers' Day.

SHRIH. K. JAVARE GOWDA (Kamataka): Madam, I would like to welcome the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Amendment Bill, 2003. After the introductory speech made by, the hon. Minister and the speeches made by learned colleagues, I am of the view that whatever suggestions that were given, are all acceptable.

Also, the intention of this Bill is very clear, and the intention is to promote the interests of the child, But the basic point is about the mothers. I would categorise mothers in our country into two categories, the middle-class mothers and the BPL mothers, those belonging to families living Below the Poverty Line. When we are talking about this Bill, we have to look at the condition of the BPL mothers. They do not have any food for feeding themselves. They do not get nutritious food. How can we provide nutritious food to mothers? Of course, this Ministry is not responsible for that. The entire society and the economic condition of the country are responsible for that. Anyway, whatever is the situation at present, this Bill has been introduced to improve the situation, and regulate the production, supply and distribution of infant milk substitutes, feeding bottles and infant foods. So. I welcome this Bill.

Madam, I want to suggest one thing. Many of the women Members who spoke before me may not agree with me. But I want to sincerely suggest that we should educate the educated mothers. Why? Look at the women living in the urban areas, and the women belonging to economically upper-class families in the villages; they do not want to breastfeed their children. If, at all, they do feed their children, they do it only for a couple of months, because they have the impression that they will lose their health, or, their beauty— I am afraid to say it, but I have no option either. Every woman brings up her child in this way. But for that we have to contain these substitutes being sold by multinationals. This is very important. Look at the advertisements; how beautiful ads they give, claiming that their products, or milk substitutes provide more nutrition than a mother's milk! I would like to tell'you one thing. That is about the immunisation capabilities of a mother's milk. My mother is uneducated. She is a villager. I drank my mother's milk for three years or more. I got immunised in the real way, when I was a kid. Nowadays. I don't think any mother breastfeeds her child for more than a year, or even six months. Madam, a movement is required in the society. Merely by passing such a Bill, I don't think we will be able to remove this type of a misconception. Therefore, it is a good piece of legislation. I request the Ministry that a special branch should be opened in the Ministry to launch awareness campaigns for mothers to educate them that it is their responsibility to breastfeed their children. Also, it is the responsibility of the society to see to it that the BPL mothers are provided with the required nutritious food.

The other point is about the working mothers. I am not suggesting that the maternity leave period should be increased. I am not supporting that. An alternative should be made available so as to enable the working mothers to feed their children, at least, up to six months.

With these words, I welcome this Bill.

उपसभापति : श्री मति जमना देवी बारूपाल । आप संक्षेप में बोल दीजिए ।

श्री मति जमना देवी बारूपाल (राजस्थान)- महोदया, मैं संक्षेप में ही बोलूंगी । मुझे ज्यादा बोलना आता भी नहीं हैं । माननीय महोदय,मैं मंत्री महोदय के इस विधेयक का तहे दिल से समर्थप करती हूं क्योंकि मां के दूध से बच्चे को एक अदभुद शक्ति मिलती है, बहुत बड़ी ताकत मिलती है । मां के दूध में बहुत ही पोषक तत्व होत है , पूरे तत्व होते हैं , लेकिन कुछ नौकरीपेशा महिलाओं का सपना साकार नहीं होता, इनमें दूरी बढ़ जाती है ।इस विधेयक से बच्चों का बहुत लाभ मिलेगा क्योकिं ज्यों ही महिलाएं पाश्चात्य सभ्यता में प्रवेश करती हैं,त्यो ही बच्चे को बोतलबंद दूध पिलाने लग जाता हैं जिससे बच्चे को उल्टी,दस्त और प्रारम्भिक कमजोरी आ जाती है,यह स्पष्ट हो गया है। इसके अतिरिक्त जन्म से ही बच्चा मंदबुद्धि,दिल से कमजोर और हल्की-फुल्की बातें करने लग जाता है। मां का स्नहे भरा आलिंगन ही बच्चे के लिए एक अदभुद शक्ति का संचार होता है जो बच्चो को शक्तिशाली और बलिष्ठ बनाता है लेकिन आजकल बोतलबंद दूध पीते ही बच्चे बीमार होनेलग जाते हैं । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले इस बोतल को बंद करवाइए ।इसकी जगह अगर किसी धातु की बोतल बनवाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा । दूसरी बात यह है कि बच्चों को खाने – पीने की जो चीजे देतें ,डिब्बों में जो बंद वस्तुए देते हैं उन पर तारीख नहीं लिखी होती है । जब बच्चे ये पोषहार लेते हैं तो यह विषाक्त बन जाता है । ये पोषक तत्व बच्चों को स्वस्थ नहीं बनातें, कमजोर करते हैं । ऐसी चीजों की तरफ भी सरकार को देखना होगा, उन पर पाबंदी लगानी होगी । इसमें जो छह महीने की सीमा बताई गई है कि मां को बच्चे को छह महीने तक दूध पिलाना चाहिए,मेरी राय में छह महीने की नहीं यदि बच्चे को साल भी दूध पिलाया जाए तो कम है । अगर यह यह अवधि बढती है तो बच्चे के प्रति मां का प्यार भी ज्यादा बढ़ता है । इन्हीं महीनों में मां दूध पिलाते-पिलाते, लोरी गाते-गाते बच्चे के जीवन में काम आने वाले अमूल्य तत्व भर देती है । इससे बच्चा बहुत मजबूत और ताकतवर बनता है । आज की कई माताएं समयाभाव के कारण स्नेहवश गाना गाना,लाड़ लड़ाना या उन्हें कुछ अलग तरह से बचपनी बातें बताने से वंचित रह गई है । जो गरीब महिलाएं है, पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं, मजदूर महिलाएं हैं, उनके नसीब में यह सुख नहीं हैं । ऐसा लगता है कि सरकार के इतना कुछ कहने के बावजूद भी उन्हें इन चीजों का सौभाग्य नहीं मिल पाता है कि वे माताएं अपने बच्चों को

पौष्टिक दूध और पौष्टिक आहार दें सकें । मैं इन बातो का ज्यादा जिक्र नहीं करूंगी । जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनकी तरफ अगर थोडा सा और अधिक ध्यान दिया जाए तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी ताकि वे बच्चे और वे माताएं भी दूसरो की बराबरी करने में कम न रहें । वे चाहते हुए भी अपने बच्चों को पौष्टिक तत्वों से बचाकर रखती है क्योंकि उनके पास धनाभाव होता है ,वे उन्हें यह सब नहीं दे पाती हैं। यह दूरी बढ़ती जा रही है ।मै ज्यादा न कहकर इतना कहूंगी और माननीय मंत्री महोदय को इस विधेयक के लिए बधाई दूंगी कि मंत्री जी ने देश में होने वाले बच्चों के लिए इतनी अच्छी सोच पैदा की । मां और बच्चे के अंदर जो बढ़ती हुई दूरी थी उसे खत्म किया । आज की आपा-धापी में मां और बच्चे का स्नेह कम होता जा रहा है इसलिए मैं आपको पुनः इसके लिए बधाई देती हूं और इसका समर्थन करती हूं ।

उपसभापति : मंत्री जी,दो बातें खास कही हैं । एक तो जो छह महीने का समय है इसमें छुट्टी न बढ़ाकर कुछ ऐसी सुविधा हो जिससे अगर वे छुट्टी लेना चाहें तो नौकरी से न निकाली जाएं ।दूसरा यह है कि वर्किंग वूमेन्स के लिए क्रेशस होने चाहिए क्योंकि आज बहुत सी औरतें बाहर काम करती हैं । So, there should be creches be close to their workplace so that they can take care of their children. Your desire that more women should breastfeed their children will be successful only if you give tliis facility to women. This is very important. In the overall discussion, we make big speeches, but if we don't look at the problems of working women, these problems are not going to be solved. There are no creches even in the precincts of the Parliament House where a large number of women are working. They must be finding it very difficult. I tried to do it, but I was unable to find a place to start a creche for working women here. So, I would like you to take up this issue.

श्री मती सविता शारदाः मैडम,मैं इसमें एक चीज और जोड़ दूं कि अधिकतर महिलाओं को नौकरी नहीं मिलती है । वे कहते हैं कि इनको लीव पर जाना है,छह –छह महीने की छुट्टी लेती है ।इसी कारण अधिकतर महिलाओं को नौकरी नहीं मिलती है ।

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदया,मैं आपका बहुत आभारी हूं ..... (व्यवधान)...

SHRI N. JOTHI: Madam has also spoken on this Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, on this very important Bill.

डा. मुरली मनोहर जोशी : वे अभी अगर पीठासीन नहीं होती तो उस समय शायद ज्यादा बोलती । लेकिन आपके इन दोनों सूझावों पर भी अभी कुछ न कुछ जो रहा है और जो होना चाहिए,उसके बारे में मै कहूंगा । मैं सदन का बहुत आभारी हूं कि आप सब ने इस संशोधन विधेयक का सर्मथन किया है । शबाना जी ने कहा और बहुत कम बार ऐसा होता है कि वे मेरी किसी बात कही हूई बात का समर्थन करे,लेकिन आज उन्होनें शुरूआत की है तो मैं समझता हूं कि यह बढ़ती रहेगी और आगे भी वे मेरी बातों का समर्थन करती रहेंगी ।

श्री मती जमना देवी बारूपाल : आज तो सारी महिलाएं समर्थन दिए जा रही हैं ।

डा. मुरली मनोहर जोशी : बिल्कुल, वे तो मेरी मां है और उन्होनें मुझे समर्थन देना ही है । इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है । इस चर्चा में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उठाए गए है जो वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है,यद्यपि वे विधेयक की परिधि से बाहर , लेकिन महिलाओं और बच्चों के संबेध में गहरी चिंता और जो कुछ होना चाहिए , उसके बारे में बहुमूल्य सुझाव प्रकट करते हैं ,इसके लिए मैं आभारी हूं । इसमें कोई शक नहीं हैं कि कुपोषण एकबहुत गंभीर समस्या है ।अगर बच्चा कुपोषित है तो वह केवल स्वास्थ्य में नही बल्कि मानसिक रूप से भी विकलांग हो जाता है । अगर उसका भार कम है, जन्म के समय उसका वज़न कम है तो यह पाया गया है कि ऐसे बच्चो में मानसिक कमजोरी भी पैदा हो जाती है, अंडर वेट चाइल्ड विद अंडर डिवेलप्ड माइंड । इसलिए मां के स्वास्थ्य के ऊपर बच्चे का स्वास्थ्य निर्भर करता है । गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहने वाली माताओं के लिए यह बात बहुत आवश्यक है कि उनको स्वयं को भोजन मिलें । सरकार की इस तरफ दृष्टि है । इस बार गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहने वाले जो परिवार हैं उनको सस्ती दर पर दिए जाने वाले अनाज की मात्रा में काफी वृद्धि की गई है । कुछ राज्यों में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहने वाली माताओं को गर्भावस्था में कुछ धनराशि भी दी जाती है । कुछ राज्यों में पांच सौ रूपये तक राशि दी जाती है जिससे वे अपना आहार कुछ ठीक रख सकें और पोषण कर सकें । इस संबध में मुझे एक बात कहनी है, जो मैने अपने वैज्ञानिक मित्रों से कही है कि हमारे देश में जो पारंपरिक आहार है, उनको वे देखे और पता लगाएं कि कौन से ऐसे आहार हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध है और कमदाम पर उपलब्ध है तथा जिनसे माताओं और बच्चो को पोषण मिल सकता है । आपको यह जान कर प्रसन्नता होनी चाहिए कि जो हमारा पंरपरागत आहार है जिसे चौलाई कहते हैं , जिसे राम दाना कहते हैं , छोटा –छोटा दाना, जिसके अकसर आपने लड्डू देखें होंगे, और सब चीजें देखी होगीं , चौलाई एक बहुत महत्वपूर्ण भोजन है, इसमें प्रोटीन की मात्रा इतनी अधिक है कि अन्य किसी अन्न या आहार में मिलनी कठिन है । उससे हमारे वैज्ञानिकों ने एक जीन अलग किया है और अब हम यह कोशिश कर रहें हैं कि वह प्रोटीन आलू,मक्का और चावल में दे सकें,जिससे कि अधिक पोषण मिल सकें । इससे आपको प्रोटीन युक्त आलू मिलेगा । कोशिश यही कर रहें है कि अधिक से अधिक इस जीन को लेकर हम डाल सकें,

ताकि पोषण करने वाला आहार लोगों को मिल सकें। हमारे देश में चौलाई बहुत उपलबध है। लेकिन आजकल तो बात यह है कि अगर कॉर्नफ्लेक्स डिब्बे में बढ़िया तरीके से बदं किया हुआ आता है तो शायद उसे ज्यादा पंसद करेंगे और अगर गांव की चौलाई या राम दाना मिलता है तो उसको लोग समझते हैं कि यह तो गंवारू खाना है, पिछडेपन का खाना है। यह बात ठीकनहीं है । हमें भारतीय आहारों और उनके पोषण का अध्ययन करना चाहिए और हमारे वैज्ञानिक और बायो-टैक्नीकल विभाग इस दृष्टि से सतर्क और जागरूक हैं तथा हम कोशिश कर रहें है । क्योंकि अगर हम चाहें कि बहुमल्य और मुल्यवान सामग्री सब को उपलब्ध करा सकें,जो शायद मूल्यवान तो हो,लेकिन पोषण की दृष्टि से उतनी अच्छी न हो जैसे जंक फूड बहुत कीमती है, मगर पोषण के मामले में बहूत कमजोर है, तो हमारी कोशिश यह हैं और हम यह चाहेंगे कि इस मामले मे हमारे वैज्ञानिक विशेष करके जो खाद्य वैज्ञानिक हैं और जो बायो टैक्नीशियंस हैं, वे अध्ययन करें ओर वे अध्ययन करेंगें। एक रास्ता तो वह है, लेकिन उस में थोड़ा समय लगेगा।मैडम, पहले यह काम होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, अब हमनें यह शुरू किया है। दूसरे, इस समय हमारे देश के किसानो ने अनाज के मामले में यह देश को आत्म-निर्भर बनाया है और एक तरह से सरप्लस बनाया है । इसलिए हमारी कोशिश यह है कि अनाज दूर तक जाए और लोगों को सस्ते दामों मे मिलें। मैडम, प्रधानमंत्री जी की ग्रामीण योजनाओं में भी 390 करोड़ रूपये इसी दृष्टि से रखे गएं हैं कि गरीब माताओं को पैसा मिल सके और वे अपने आहार की व्यवस्था कर सकें । इसी तरह से किशोरी बालिकाओं , एडोलेसेटं गर्ल्स के लिए भी योजना है,जो मां है या बनने वाली है,तत्काल गर्भवती हैं और वे कल मां बनेंगी- उन सब के लिए हमारा यह विभाग योजनाएं बनाता है और उस को हम क्रियान्वित कराते हैं। लेकिन क्रियान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से होता है ओर कुछ राज्य सरकारें इस मामले में बहुत जागरूक हैं, सतर्क हैं, लेकिन कुछ में अभी काम ढीला है। इस दृष्टि से हम आगंनवाडी योजना को भी सुदृढ कर रहें है। हम उस का विस्तार करना चाहते हैं। कुछ राज्यों में जहां यह योजना नहीं थी, हम ने इसे फैलाया है । हम ने आगंनवाडी में काम करने वाली बहनों का मानदेय भी दोगुना कर दिया है । कुछ राज्य सरकारें उस में ऊपर से भी दे रही हैं। हम उनका प्रशिक्षण भी कर रहे हैं। मैडम,हम इस बात से सहमत हैं कि इस मामलें में उन का प्रशिक्षण होना चाहिए । मैं राज्य सरकारों से यह भी कहता रहा हूं कि आंगनवाड़ी की बहनों को केवल माताओं और बच्चों की देखभाल के लिए रखें, उन से और बहुत से काम न लें। लेकिन मुझे अफसोस है कि उने से और बहुत से काम भी लेते हैं जो कि उन के मूल काम में बाधा डालते हैं। हम चाहते हैं कि यह बंद हो।

दूसरी बात, आंगनवाड़ी की व्यवस्था हम स्लम्स में भी,शहरी क्षेत्र में भी ले जाने की कोशिश कर रहें हैं । इस के लिए हम प्लानिंग कमीशन से बराबर बात करते हैं कि हमें इस के विस्तार के लिए अनुमति मिलनी चाहिए ताकि नगरों में काम करने वाली मजदूर क्षेत्र की जो महिलाएं हैं,उन

के लिए भी हम कुछ-न-कुछ व्यवस्था कर सकें । हमें इस की चिंता है कि वहां भी व्यवस्था होनी चाहिए खासतौर से जो दूर गांव से मजदूरी करने आती हैं,उन के लिए कोई ऐसी व्यवस्था हो सके जिस में उन का घर हो और वे बच्चों को किसी के पास रख सकें । हम ऐसी व्सवस्था के लिए प्रयत्नशील हैं और मुझें खुशी होगी अगर हम इस काम को जल्दी कर पाएं ।इस के लिए हमें सदन का सहयोग और मार्गदर्शन मिला है । इस से हम इस बात को और बलपूर्वक योजना विभाग के सामने रखेंगे कि आज देश इस की आवश्यकता महसूस कर रहा है । मैं इसे महसूस करता हूं और हम इस के लिए बराबर प्रयत्नशील हैं । प्रधान मंत्री जी स्वंय इस बात के लिए प्रयत्नशील है । उन्होंने इस बारे में कई बार चर्चा भी की है । हम ने एक न्यूट्रीशन मिशन बनाया है और वे स्वंय न्यूट्रीशन मिशन के अध्यक्ष हैं । इस के माध्यम से हमारा उद्येश्य यही है कि खास तौर से गर्भचती महिलाओं,एडोलेसंट गर्ल्स ओर जो छोटे बच्चे है, उन का पोषण ठीक हो ।मैडम,बहुत से प्राग्राम्स हैं जिन्हें हम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं जिस में हम देश के बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करते हैं ।लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है इस बारे में जागरूकता फैलायी जाए । मैं इस बात से सहमत हूं और हम इस में बहुत से गैर-सरकारी संगठनों से सहायात ले रहें हैं और लेगें ।मैडम, देश में इस क्षेत्र में और गैर सरकारी संगठन बनने चाहिए क्योकि यह काम सरकार का अधिकारी नहीं कर सकता है । इसे तो जन-चेतना से ही करना पड़ेगा । हमारी कोशिश यह है कि अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से हम ऐसी जन-चेतना फैलाएं जिस में बच्चों को अच्छा आहार प्राप्त हो सके । मैडम, बच्चो के पोषण आहार के विषय में जब चर्चा चल रही है तो मुझे कुछ कहना होगा कि हमारे सामने समस्या आती है क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि बच्चों को ,जो स्कूल में पढाते हैं, पका-पकाया भोजन “मिड-डे-मील्स” के अंतर्गत मिलना चाहिए । यह कार्यक्रम बहुत से राज्यों में चल रहा है,लेकिन कई जगह यह नहीं चल रहा है । मैडम,हम ने कुछ धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से अपील की है कि वे इस मामले में हमारी मदद करें । मैं इस सदन को पहले बता चुका हूं कि किस तरह से कर्नाटक के अंदर एक योजना चली है,और भी जगह हमें सहयोग मिल रहा है ।हम चाहते है कि धार्मिक,सामाजिक संगठन स्कूल्स में पढनें वाले गरीब बच्चें को पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराने में हमारी मदद करें । हम उन्हें अनाज दे रहे है । हम भोजन पकाने व बर्तन वगैरह के मामले में भी कोशिश कर रहे हैं कि राजय सरकार की मदद से उन्हें और अधिक सहायता दी जाए ,एम.पी.लैड. कार्यक्रम से भी सहायता दी जाए ।कुल मिलाकर यह चाहेगें कि हमारे देश में बच्चों को,माताओं को और किशारी बालिकाओं को उचित पोषण मिले । यह बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि बिना इनके पोषण के देश की सुरक्षा खतरें में है । अगर बच्चे कुपोषित होगे,मानसिक रूप से अविकसित होंगे तो देश की आतंरिक और सामरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी । यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसलिए मैं इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखता हूं ।

महोदया,सदन ने जो भावनाएं प्रकट की है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होनें बहुत बलपूर्वक इस बात को रखा है ।जो यह कहा गया कि हमारा कानून केवल कानून बनकर न रह जाए,इसको अमल में भी आना चाहिए, तो हम इसको हमलमें ला रहे है और कोशिश हुई है कि हम इसमें काफी प्रगति कर सकें । जैसे हमारे यहां एनएफएचएस ने नेशनल फैमिली हैल्थ सर्व किया था, उसके अनुसार 6 महीने तक के बच्चों को जो पूर्णतया स्तनपान पर निर्भर करते थे उनकी संख्या लगभग 38 प्रतिशत थी । एनएफएचएस-टू ने जब दूसरा सर्वेक्षण किया तो उसकी संख्या बढकर41 प्रतिशत हो गई । यह भी पाचं साल पुराना सर्वेक्षण है और एक दूसरा सर्वेक्षण हम करा रहें हैं । मेरा निश्चित मत है कि यह संख्या **काफी** आगे बढ गई होगी क्योंकि एक के अनुसार हमारे पास यह संख्या काफी आगे बढ। रही है । चाइल्ड फीडिंग इंडीकेटर में

percentage of children exclusively breast fed, age up to में हम 51 प्रतिशत तक पहुंच गए है । यह तो वर्ष 1992-93 में ही पहुंच गए थे और वर्ष 1998-99 में हम इसमें 55 प्रतिशत तक पहुंच गए हैं । जो 3 महीने से 6 महीने की स्थिति है उसमें थोडी संख्या कम है। इस तरह औसत हमारे यहां 41 प्रतिशत तक बैठती है । मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि चेतना बढ़ रही है , लेकिन जितनी तेजी से बढनी चाहिए उतनी तेजी से अभी नहीं बढी है । हमने पिछले तीन-चार सालों में जो योजनाएं चलाई हैं उसके परिणाम ,जब हमारा दूसरा सर्वेक्षण होगा तो मै समझता हूं कि यह संख्या पहले से बेहतर मिलेगी ।

महोदया, बहुत से राज्य ऐसे है,जहां 74 प्रतिशत तक ब्रेस्ट फीडिंग है, जैसे आंध्र प्रदेश में 74 प्रतिशत ,कर्नाटक में 66 प्रतिशत है, केरल मे 68 प्रतिशत है और इसी तरह मणिपुर में लगभग 70 प्रतिशत है । इस तरह के भी राज्य हैं, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में एनएफएचएस –टू के सर्वे के अनुसार percentage of children exclusively breast fed, age up to 0-3. was only 13.2 जैसा सम्मानीय सदस्य ने कहा है शहीरी क्षेत्र में इस तरह की भावना कम है, यह बात सही है । इसको हम ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्में एक कारण यह भी हैं कि शहरी माताओं की काफी बडी संख्या,जिन्हें आप काम करने वाली महिलाएं या वर्किंग वीमने कहते हैं,इनकी होता है । यह जाहिर बात है कि इसमें थोडी कठिनाई है, लेकिन इसके बारे में उपाय सोचें जाऐगें । दूसरी तरफ मेरा यह भी कहना है कि जब यह बात सिद्ध है कि माता के स्तनपान पर बच्चे का भविष्य निर्भर करता है, राष्ट्र का भविष्य निर्भर करता है तो इस बात की भी जागृति करनी पड़ेगी कि माताओं का ध्यान और उनकी प्राथमिकता बच्चों को स्तनपान कराने पर हो । उसमें थोडी सी कटिनाई हो सकती है,लेकिन उसके लिए परिवार का, समाज को,सरकार को सबको मिलकर देखना होगा क्योकिं केवल सरकार ही कर सके, यह आज की परिस्थिति में किसी भी सरकार के लिए सभंव नहीं है । अब समाज में सयुंक्त परिवार की प्रथा नहीं है,इससे बच्चों की देखरेख में काफी दिक्कत होती है । वह स्थिति आज हो नहीं सकती,इसके कुछ सामाजिक आर्थिक कारण है,

जो हमारे सामने है । फिर भी कुछ न कुछ रास्ते हमें निकालनें पडेंगे । इस बारे में समाजशास्त्रियों को, राजनीतिक पार्टियों को ध्यान देना होगा कि ऐसी रचनाएं की जाए । सोशलिस्ट, साइंटिस्ट, पोलिटिशियन, जो हमारे इंडस्ट्रिलिस्ट हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, सबको मिलकर विचार करना पडेगा कि इसको कैसे सुलझाएं । इंडस्ट्रीस में, हमारे जो आफीसर सरकारी हैं उनमें विचार हो, इसके लिए कार्यक्रम सरकार चलाएं , एनजीओस चलाऐ या लोगों के कोआपरेटि चलाएं, लेकिन कैसे कैसे हो । कुछ न कुछ नए मोडल हमको निकालना पडेगें । हम पश्चिम के मोडल पर नहीं चल सकते । हम अगर ऐसा सोचें कि जैसे लंदन में है या न्यूयार्क में है या फ्रांस में है । वैसा ही हिंदुस्तान में हो तो ऐसी उम्मीद करना कि हम उस तरु चले जाएगें , सभव नही । हम अपने देश के हिसाब से क्या कर सकते , वह हम करें । जैसा इंदिरा जी ने बताया था कि गांव वाले भी इस बारे में सतर्क हैं और वे बच्चों के पालने के लिए झुला डाल देते है, बच्चों को साथ ले जाते हैं । इस प्रकार से यहां भी कुछ न कुछ व्यवस्थाएं हमें करनी पड़ेगी । जैसा आपने बताया,अगर आप इस पर कुछ पहल करेगी तो मैं इसमें आपके साथ हूं और हम कुछ न कुछ रास्ता निकालने में आगे जाऐगें । यह मेरे लिए बहुत ही महत्वपुर्ण विषस है, क्योकि मैं केवल शिक्षा मंत्री ही नहीं हूं, मैं Human Resource Devlopment मिनिस्टिर हूं । हमारा सबसे बड़ा human redouece तो हमारे बच्चे ही है । उनकी शुरूआत ठीक हो , यह मेरा दायित्व है । इसलिए अगर इस मामले में कोई भी अच्छी पहल कहीं से भी आएगी तो हम जरूर उस पर गंभीरता से विचार करेंगे । मैं समझता हूं कि अगर कुछ सुझाव आएंगे तो हमारा मंत्रालय उस पर आगे विचार करेगा ।

उपसभापति: मंत्री जी, आप एक सजेशन ले सकते है National Creche Fund के तौर पर और उसमें आप थोडा Cess भी लगा सकते हैं, इंडस्ट्रीज पर भी लगा सकते हैं, प्राइवेट इंस्टीटयूशंस पर भी लगा सकते हैं और उससे काम हो सकता है ।

डा.मुरली मनोहर जोशी : जी हां, उससे हो सकता है, कई रास्तें निकल सकते है। अभी एक सदस्य ने कहा कि बच्चों के लिए कमीशन बनना चाहिए । मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष है कि कैबिनेट ने नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रन की मुजूंरी दे दी है, उसका बिल आपके सामने आएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसको बिना स्टैंडिंग कमेटी में भेजे हुए, जल्दी से पास करें ताकि हम बच्चों के लिए और अधिक कारगर प्रबंध कर सकें ।

महोदया, कुछ बातें पूछी गईं कि हम बहुराष्टीय कंपनियों को कैसे रोकेंगे,उन्हें इस प्रचार से कैसे रोकेंगे ? हमने इसबारे में बहुत कार्यवाहियां की है । देखिए,कानून में काफी व्यवस्था है । ऐसा समझिए कि इसमें advertisement की जो परिभाषा है, वह काफी बढ़ा दी गई है । scope of advertising has been widened to cover recent methods of advertising and promotion like electronic transmission and audio and visual transmission. उसके

लिए जो संशोधन किया गया है, जिसको मूल रूप में स्टैंडिंग कमेटी ने मान लिया है, उसमें हमने यह व्यवस्था की है कि कोई भी ऐसा तरीका चाहे वह इलैक्ट्रनिक हो, चाहे आडियों –विजुअल हो,प्रिट हो, जिसके द्वारा ये सब प्रचार किए जाएंगे, वे सब प्रतिबिंधत हैं और उसके लिए दंड का भी प्रावधान है। तो वह बात हम कर रहें है और एक्शन भी लिए गए हैं। ऐसा नही है कि हमारा यह कानून केवल कागज़ी कानून है। मैं आपको बताना चाहूगां कि हमने बहुत सारे एक्शन लिए हैं, लोगों के ऊपर मुकदमें चल रहे हैं और जैसे ACASH हमारी एक एन.जी.ओ. है, Association for Consumers Action on Saftey and Health इसने Nestle कंपनी के ऊपर मुकदमा किया है और अभी 19 मई को दिल्ली में उसका केस लगा हुआ है, देखते हैं उसमें क्या होता है। इसी तरह से Johnson and Johnson Ltd. के ऊपर मुकदमा किया गया है। इसी तरह से हाईकोर्ट में Nestle के ऊपर एक ओर मुकदमा चल रहा है। फिर एक वुकहॉड लिमिटेड कंपनी और सहायोगीयों पर मुकदमा चल रहा है। फिर जसलोक हॉस्पिटल पर मुकदमा चल रहा है। बेबीलाइन फार्मा को रोका गया है कि आप इस तरह के प्रोग्राम नही कर सकते। Star India Ltd. भी जो विज्ञापन कर रहे थे,जिसमें कौन बनेगा करोड़पति में फीडिग बॉटल दिखाई जा रही थी,उसको प्रतिबंधित किया है। इसी तरह से Event Management Private Ltd.,for using the picture of a feeding bottle in their promotional campaign for bouncing babies. Mumbai. December,2001.इसमें भी उनके logos, materials थे, वे बैन कराए गए।

महोदया, मेरे पास एक सूची है। बहुत-से स्थानो पर हमाने काम किया है। हमने Wipro के ऊपर केस चलाया, फिर Urban Healthcare के ऊपर केस चलाया,महानंदा डेरी के ऊपर केस चलाया, इस तरह से हम एक्शन रहें हैं। हम और भी दृढ़ता के साथ इस पर काम करना चाहते हैं। अगर कहीं आपकी जानकारी में इस तरह का मैटर आएगा, तो हम उस पर भी कदम उठाएगें,उसमें काई दिक्कत नहीं है।

महोदया, जैसा मैने आपसे कहा कि यह बिल माताओं को प्रतिबंधित करने के लिए नही है। अब जिसको किसी कारण से दूध होता ही नहीं है तो यह कानून उनके लिए नहीं है। यह कानून advertisers के लिए है जो बेबी फूड को प्रोत्साहन देते हैं और यह बताते है कि माता के दूध से वह बेहतर है या बराबर है। उन लोगों के लिए यह कानून है। अगर माता को दूध होता ही नहीं है तो वे गाय का दूध पिलाती है। जहां गाय का दूध नहीं मिलता,वहां किसी न किसी तरह से बच्चे को आहार देती है। कई जगह धाय मां का दुध पिलाती है, कई जगह दूसरी माताऐं दूध पिला देती हैं। जिसको दूध होता ही नहीं है, उसके लिए तो कठिनाई है।

अब एक सवाल आया है कि क्या गाय के दूध की जगह हम बकरी का दूध दे सकते हैं? हम तो यह प्रचार नहीं कर रहे है, यह तो डॉक्टरों का काम है। मुझे प्रसन्नाता है कि चन्द्रकलाजी ने महात्मा गांधीजी को इस मामले में याद किया लेकिन अगर वे और मामलों मे भी याद करें तो ....

(व्यवधान) सुन लिया कीजिए, थोड़ा सुनने का भी अभ्यास डालिए। उन्होनें इस मामले में महात्मा गांधीजी को याद किया , अच्छा हो अगर वे और मामलों में भी याद किया करें और देखें कि उन्होनें क्या कुछ कहा है, हिन्दुस्तान के लिए,यहां की माताओं के लिए क्या कहा है,यहां के पुरूषों के लिए क्या कहा है ,यहां गाय के बारे में क्या कहा है उन सबका का भी जरा ध्यान रखें। हमको कोई आपत्ति नहीं है। जिस चीज का भी दूध बच्चें के लिए उपयोगी है,स्वास्थ्यकर है, वह गाय का हो,बकरी का हो, भैंस का हो जिस किसी भी तरह से दूध मिल सकता है और वह उपयोगी स्वास्थकर है,हानिकारक नहीं है वह बच्चे को मिलना चाहिए, पोषण बच्चे को मिलना चाहिए।

उपसभापतिः मंगोलिया में घोड़ी दूध देती है।

डा. मुरली मनोहन जोशी : हां वह होता है,लोग कहते है कि वह बहुत स्वादिष्ट होता है। बहुत-से रेगिस्तानी इलाकों में मिलता है। एक बात यह कही गई कि इसमें कुछ डॉक्टर्स और चिकित्सक ये जानबुझ कर सिजेरियन ऑपेरशन की तरफ ले जाते है। सिजेरियन ऑपरेशन एक अलग बात है और माता के स्तन का दूध होना एक अलग बात है। सिजेरियन ऑपेरशन के बाद मां के स्तन में दूध नहीं आता ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह कहना डॉक्टर्स उसको सिजेरियन के लिए जानबूझ कर ले जाते हैं, यह हो सकता है कहीं दो चार-चार केसेज होते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर अगर मां और बच्चे का स्वास्थ और दोनों का जीवन खतरे में हैं तो उस समय डाक्टर की ही बात माननी पडेगी। हम उस समय यह नहीं कह सकेंगे कि आप डॉक्टर हैं और आपको किसी ने उकसा रखा है। मैं यह नहीं कहता कि मल्टीनेशनल्स उकसाती नहीं हैं , वे तरह-तरह के प्रपंच करती हैं वह अलग सवाल है। लेकिन यह एक ऐसा नाजुक सवाल है कि इसमें मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य का प्रश्न उठता है तो वहां डाक्टर की बात माननी पड़ती है और मैं समझता हूं कि वह मानना जरूरी भी होगा क्यांकि दोनों के जीवन का खतरा हैं। लेकिन एक बाता जो उठाई गई लाइफ स्टाइल की, उससे मैं जरूर सहमत हूं। आज की लाइफ स्टाइल में एक स्वास्थ प्रसव होना यह स्वाभावतः कठिन होता जा रहा है क्योंकि जो शरीर की मांस-पेंशियां है,यूटेरियन मसल्स है और तो सारी प्रसव की प्रक्रिया है वह जिस प्रकार के स्वास्थ की अपेक्षा रखती हैं वह स्वास्थ उस तरह का जीवन आज नहीं है। सिडेंटरी जीवन हो गया है। देखा गया है कि गांव की महिलाओं की सजेरियन बहुत कम होती है, शहरी महिलाओं की,कामकाजी महिलाओं की सिजेरियन ज्यादा होती है। इस मामले में कुछ न कुछ माताओं को सोचना पडेगा कि वे अपनी दिनचयार्, अपनी दिनचर्या, अपना लाइफ स्टाइल ऐसा रखें कि यह जो नैसर्गिक प्रक्रिया है यह बराबर बिना किसी बाधा के हो सके, बिनाकिसी सर्जिकल इंटरवेंश्न के हो सके इसके लिए उन्हें भी प्रयत्न करना पड़ेगा और इसके लिए हमें सामजिक चेतना भी जाग्रत करनी पडेगी। वह सवाल महत्वपूर्ण् है लेकिन इस विधयेक से सबंधित नहीं है। मैं सदन का बहुत आभारी हूं कि आपने मेरा समर्थन किया,इस विधेयक का समर्थन किया, माताओं और बच्चों के लिए अपनी गंभीर चिंताएं व्यक्त की

और उपसभापति महोदया ने स्वंय इस मामले में रूचि ली है । इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और यह निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को आप सर्वसम्मति से पारित करें ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : The question is:

'That the Bill to amend the infant Milk Substitutes. Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production. Supply and Distribution) Act. 1992. as passed by Lok Sabha. be taken into consideration."

The motion was adopted

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 10 were added to the Bill

('louse 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Madam, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted

श्री विजय जे. दडा (महाराष्ट्र): महोदया, अभी आपने कहा कि किसी घोडी का दूध पीते हैं ?

उपसभापति : मंगोलिया में घोड़ी का दूध पिलाते हैं, लोग पीते हैं । .... (व्यवधान)... different countries, they have different kinds of milk. Where there are camels, the children must be drinking camel's milk. Okay; now, we shall take up the Foreigners (Amendment) Bill, 1998.

The Foreigners (Amendment) Bill, 1998

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND MINISER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIHARTN PATHAK): Madam Chairperson, I move:

That the Bill further to amend the Foreigners Act, 1946, be taken into consideration.

The Foreigners (Amendment) Bill, 1998 was initially introduced in June 1998 for amendment of Section 14 to enhance the punishment of imprisonment